झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः..................

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के पारसपानी खूर्द ग्राम में गुलर पियाह वाटर टावर के निर्माण हेतु रू० 5.088 लाख (रूपये पाँच लाख आठ हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 **जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के पारसपानी खूर्द ग्राम में गुलर पियाह वाटर टावर के निर्माण हेतु रू० 5.088 लाख (रूपये पाँच लाख आठ हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

3 इस योजना के निर्माण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में PIL [WP (PIL) No-543/2013 मंजूर खान बनाम राज्य सरकार] दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसके आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकनीकी अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत है।

5 इस योजना में एक अदद् 20 फीट व्यास के कूप, Water tower, Vat एवं Pipeline का निर्माण कर सिंचाई उपलब्ध किया जाना है।

6 योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा तो उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

7 इस योजना के पूर्ण होने से 12 हे॰ खरीफ एवं 4 हे॰ रब्बी क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन का अनुमान है।

8 योजना का लाभ–लागत अनुपात 10% ब्याज पर 2.286 एवं इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू0 31800 प्रति हे॰ आकलित है।

9 इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जाना है।

10 इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल 19–लघु सिंचाई योजना का निर्माण–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

11 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

12 इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13 इस कार्य के राशि की निकासी गढ़वा कोषागार से की जाएगी।

14 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

16 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

17 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................
प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एंव विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................
प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदनीनगर/कार्यपालक अभिंयता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................
प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः..................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 09/14-15 पु.स्थ. **/राँची, दिनांकः** 11.06.2014
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)